भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 244

(21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का चरण-वार निर्माण

244. श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री विजय बघेल:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री आशीष दुबे:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री जय प्रकाश:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री भोजराज नाग:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री अमर शरदराव काले:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री नलिन सोरेन:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री नव चरण माझी:

डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्रीमती मालविका देवी:
श्री राहुल सिंह लोधी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री रोडमल नागर:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री काली चरण सिंह:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री गोडम नागेश:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चतरा, पाली और दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित झारखंड, गुजरात और राजस्थान राज्यों के विशेष संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आज की तिथि तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-I, II, III और IV) के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों की किलोमीटर में कुल लंबाई कितनी है और जोड़ी की गई बसावटों की संख्या का राज्य, जिला और चरण-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) चतरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष, राज्य और जिला-वार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण की गई, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का ब्यौरा क्या है तथा इसके साथ स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि कितनी है;
(ग) चतरा और दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पीएमजीएसवाई के लिए कार्यान्वयन योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और रखरखाव के संबंध में इसका ब्यौरा क्या है;
(घ) वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जबलपुर, शिमला और दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ पिछले लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति सहित छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों के विशेष संदर्भ में इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आकांक्षी जिलों, पश्चिमी घाट, जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में संपर्क को प्राथमिकता देने के लिए कोई तंत्र अपनाया है और यदि हां, तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जनजातीय बहुल जिलों क्रमशः दाहोद, पालघर, कालाहांडी और नुआपाड़ा के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात सहित केंद्र और राज्यों के अंशदान के साथ-साथ नियोजित निवेश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत से लेकर 16.07.2026 तक इसके सभी घटकों के तहत निर्मित सड़कों की कुल लंबाई और जोड़ी गई बसावटों का झारखंड, गुजरात और राजस्थान राज्यों सहित राज्य-वार तथा विशेष रूप से चतरा, पाली और दाहोद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, योजना के तहत स्वीकृत, पूर्ण, निर्माणाधीन सड़कों की लंबाई और जोड़ी गई बसावटों का चरण-वार, राज्य-वार और जिला-वार भौतिक विवरण ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे https://pmgsy.dord.gov.in/dbweb पर देखा जा सकता है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (16.07.2026 तक) के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत, पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण तथा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत, पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण के साथ साथ उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार विवरण ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे https://pmgsy.dord.gov.in/dbweb पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत, पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों तथा उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग) और (घ): वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के भौतिक लक्ष्यों को स्वीकृत कार्यों के शेष भाग और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक कार्य योजना (एएपी) की बैठकों के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। इसके बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित राज्य-वार लक्ष्यों के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला-वार लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) वाले क्षेत्रों में संपर्कता के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) सहित विभिन्न पीएमजीएसवाई घटकों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के भौतिक लक्ष्य **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 10 वर्षों की डिजाइन जीवन समयावधि के साथ किया जाता है। पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। मानक बोली दस्तावेज के अनुसार, पीएमजीएसवाई के सड़क निर्माण से जुड़े सभी कार्यों के लिए निर्माण अनुबंध के साथ ही उसी ठेकेदार के साथ शुरुआती पांच साल का रखरखाव अनुबंध किया जाना अनिवार्य है। इस अनुबंध को पूरा करने के लिए रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है और इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में जमा किया जाना चाहिए। निर्माण के बाद के इस 5 साल के रखरखाव की अवधि समाप्त होने पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 साल के रखरखाव वाले जोनल रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना आवश्यक है।

(ङ.): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यक्रम दिशानिर्देशों में विशेष श्रेणी के क्षेत्रों, जिनमें आकांक्षी जिले, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और विशेष श्रेणी के क्षेत्र शामिल हैं, के लिए प्राथमिकता के आधार पर संपर्कता सुनिश्चित करने हेतु रियायत संबंधी विशिष्ट मानदंड शामिल किए गए हैं। जहां इस योजना के तहत संपर्कता प्राप्त करने के लिए अन्य बसावटों की पात्रता मानदंड 500 व्यक्तियों की आबादी है (पीएमजीएसवाई-I के तहत 2001 की जनगणना के अनुसार और पीएमजीएसवाई-IV के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार), वहीं जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों और चयनित जनजातीय तथा पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा चिन्हित) और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए, योजना के तहत बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए 250 और उससे अधिक की आबादी वाली असंबद्ध बसावटें पात्र हैं।

इसके अलावा, हाल ही में शुरू की गई पीएमजीएसवाई-IV के तहत, ये शिथिल आबादी मानदंड (250+) 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों,

जनजातीय अनुसूची-V क्षेत्रों और मरुस्थलीय क्षेत्रों में लागू रहेंगे, तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 100 या उससे अधिक की आबादी तक और छूट प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमजीएसवाई-IV के साथ अभिसरण के माध्यम से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के सड़क संपर्कता घटकों को भी एकीकृत किया है। यह अभिसरण ढांचा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है। इस ढांचे के तहत उन असंबद्ध बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें डीए-जेजीयूए के तहत चिन्हित किया गया है और जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है तथा जिसमें कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति की आबादी है, या आकांक्षी जिलों में 250 या उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें हैं जिनमें कम से कम 50 अनुसूचित जनजाति के सदस्य शामिल हैं। इसी तरह, पीएम-अजय के तहत, 2011 की जनगणना के अनुसार 500 या उससे अधिक की आबादी और कम से कम 40% अनुसूचित जाति की आबादी वाली असंबद्ध बसावटों को प्राथमिकता दी गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के सड़क संपर्कता घटक को भी पीएमजीएसवाई के तहत एक अलग घटक के रूप में लागू किया जा रहा है।

इन व्यवस्थित दिशानिर्देशों के तहत, दाहोद (गुजरात), पालघर (महाराष्ट्र), कालाहांडी और नुआपाड़ा (ओडिशा) के जनजातीय बहुल जिलों के अंतर्गत आने वाली पात्र असंबद्ध बसावटों को शिथिल मानदंडों के तहत संपर्कता का लाभ दिया जाता है। इन क्षेत्रों के लिए परियोजना स्वीकृतियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम के ढांचे के अनुपालन में तैयार की गई और प्रस्तुत की गई कोर नेटवर्क योजना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर संसाधित की जाती हैं।

(च): पीएमजीएसवाई की शुरुआत 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। हालांकि, बाद में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तर्कसंगतिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2015-16 से गुजरात सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएमजीएसवाई के वित्तपोषण पैटर्न को 8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधायिका वाले), जिनके लिए यह अनुपात 90:10 है, को छोड़कर केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में परिवर्तित कर दिया गया था। बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय हिस्सा 100% है।

अनुबंध- I

दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार पीएमजीएसवाई के सभी घटकों के तहत पूर्ण हो चुकी सड़कों की लंबाई (किमी में) और जोड़ी गई बसावटों का झारखंड, गुजरात और राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण हुई सड़क की लंबाई (किमी में)	जोड़ी गई बस्तियाँ
अंडमान और निकोबार	150	7
आंध्र प्रदेश	18,764	1,416
अरुणाचल प्रदेश	14,909	622
असम	32,212	13,721
बिहार	62,724	31,293
छत्तीसगढ	44,828	10,691
गोवा	155	1
गुजरात	15,458	3,047
हरियाणा	8,042	1
हिमाचल प्रदेश	23,408	2,562
जम्मू और कश्मीर	19,875	2,132
झारखंड	32,008	10,953
कर्नाटक	24,008	295
केरलम	4,836	401
मध्य प्रदेश	90,955	17,493
महाराष्ट्र	32,886	1,417
मणिपुर	10,914	622
मेघालय	5,301	597
मिजोरम	4,641	231
नागालैंड	4,362	107
ओडिशा	71,763	16,991
पुदुचेरी	87	-

पंजाब	10,841	389
राजस्थान	76,177	15,970
सिक्किम	4,923	350
तमिलनाडु	26,349	1,985
त्रिपुरा	5,127	1,982
उत्तर प्रदेश	75,741	11,748
उत्तराखंड	21,902	1,860
पश्चिम बंगाल	39,177	13,224
तेलंगाना	13,146	704
लद्दाख	1,352	64
कुल	**7,97,020**	**1,62,876**

दिनांक 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार चतरा, पाली और दाहोद के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार पीएमजीएसवाई के सभी घटकों के तहत पूर्ण हो चुकी सड़कों की लंबाई (किमी में) और जोड़ी गई बसावटों की संख्या का विवरण

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	पूर्ण लंबाई (किमी में)	जुड़ी हुई बस्तियाँ
चतरा	3,164	625
पाली	2,703	229
दाहोद	1,776	739

अनुबंध- II

दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत स्वीकृत, पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण तथा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत सड़क की लंबाई (किमी में)	पूर्ण की गई सड़क की लंबाई (किमी में)	शेष सड़क की लंबाई (किमी में)	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	जारी केंद्रीय हिस्सा (करोड़ रुपये में)	व्यय (राज्य अंश सहित) (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार	0	43	53	50.00	12.22	22.93
आंध्र प्रदेश	1158	369	1759	400.00	140.64	368.03
अरुणाचल प्रदेश	1743	303	2549	590.00	339.90	320.09
असम	0	610	447	590.00	391.29	571.22
बिहार	268	2252	3211	1030.00	963.37	1815.63
छत्तीसगढ	1466	201	3304	610.00	401.77	388.09
गोवा	0	0	0	0.00	0.00	0.00
गुजरात	2	619	279	370.00	298.41	330.33
हरियाणा	0	344	103	150.00	74.01	150.86
हिमाचल प्रदेश	2683	315	3529	750.00	617.56	371.54
जम्मू और कश्मीर	535	956	1665	1450.00	1304.17	1256.96
झारखंड	171	1431	3286	790.00	752.80	1323.90
कर्नाटक	0	457	284	290.00	72.25	404.03
केरलम	592	261	895	220.00	54.25	164.95
लद्दाख	0	41	461	150.00	37.50	30.44
मध्य प्रदेश	295	910	1382	640.00	599.42	1105.16

महाराष्ट्र	1573	1569	3514	1130.00	1110.80	1507.37
मणिपुर	491	59	1322	660.00	161.29	296.83
मेघालय	0	399	559	440.00	122.59	238.19
मिजोरम	488	149	518	370.00	141.37	381.62
नागालैंड	489	132	551	230.00	161.29	94.01
ओडिशा	148	2587	1920	1125.00	1262.55	1589.76
पुदुचेरी	0	24	2	50.00	0.27	11.89
पंजाब	1164	956	1539	440.00	265.10	522.95
राजस्थान	476	1669	1321	550.00	404.79	633.09
सिक्किम	303	94	449	150.00	94.37	130.13
तमिलनाडु	2869	985	3001	370.00	411.36	777.78
तेलंगाना	27	493	1632	540.00	296.96	479.41
त्रिपुरा	542	112	884	290.00	185.03	112.64
उत्तर प्रदेश	448	6799	3911	2365.00	2679.63	3791.65
उत्तराखंड	1241	594	2273	740.00	551.05	800.68
पश्चिम बंगाल	0	362	544	380.00	99.28	309.11
कुल	**19170**	**26095**	**47147**	**17910.00**	**14007.29**	**20301.27**

नोट: सड़क की शेष लंबाई में विगत वर्षों के लंबित कार्य शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत, पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण तथा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत सड़क की लंबाई (किमी में)	पूर्ण की गई सड़क की लंबाई (किमी में)	शेष सड़क की लंबाई (किमी में)	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	जारी केंद्रीय हिस्सा (करोड़ रुपये में)	व्यय (राज्य अंश सहित) (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार	200	14	237	16.88	0.05	3.97
आंध्र प्रदेश	358	387	1717	800.00	507.32	370.60
अरुणाचल प्रदेश	653	453	2738	700.00	609.00	726.10

असम	564	277	717	350.00	79.24	264.55
बिहार	28	1646	1512	920.00	1195.44	2312.80
छत्तीसगढ	986	457	3819	900.00	325.24	421.88
गोवा	63	0	63	11.98	0.00	0.00
गुजरात	0	192	83	310.00	220.65	361.22
हरियाणा	0	94	4	100.00	27.38	34.60
हिमाचल प्रदेश	0	730	2785	650.00	634.82	904.14
जम्मू और कश्मीर	0	775	852	1400.00	1028.25	1070.65
झारखंड	0	1638	1634	1550.00	961.77	1374.96
कर्नाटक	64	170	166	220.00	100.58	142.81
केरलम	160	264	788	450.00	122.27	249.15
लद्दाख	37	38	458	150.00	113.81	111.33
मध्य प्रदेश	1543	559	2324	840.00	703.29	966.83
महाराष्ट्र	795	2049	2221	1020.00	854.93	1524.10
मणिपुर	281	68	1535	400.00	2.81	88.18
मेघालय	752	289	1023	400.00	219.62	373.80
मिजोरम	0	91	426	350.00	87.50	45.78
नागालैंड	56	2	605	350.00	2.25	30.50
ओडिशा	63	881	1068	1000.00	712.39	736.53
पुदुचेरी	108	0	110	100.00	25.00	0.00
पंजाब	31	379	1189	400.00	319.87	328.82
राजस्थान	58	1213	157	500.00	450.46	932.86
सिक्किम	0	56	389	280.00	70.00	148.98
तमिलनाडु	59	986	2070	750.00	638.66	741.43
तेलंगाना	67	153	1533	460.00	132.57	399.90
त्रिपुरा	203	71	1012	400.00	172.75	98.25
उत्तर प्रदेश	51	2808	1115	1920.00	1968.60	2703.84
उत्तराखंड	0	966	1297	760.00	815.50	934.03
पश्चिम	3251	405	3384	450.00	225.00	269.77

बंगाल						
कुल	**10433**	**18110**	**39031**	**18908.86**	**13327.03**	**18672.36**

नोट: सड़क की शेष लंबाई में विगत वर्षों के लंबित कार्य शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत, पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण तथा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत सड़क की लंबाई (किमी में)	पूर्ण की गई सड़क की लंबाई (किमी में)	शेष सड़क की लंबाई (किमी में)	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	जारी केंद्रीय हिस्सा (करोड़ रुपये में)	व्यय (राज्य अंश सहित) (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार	0	15	222	20.00	0.00	12.14
आंध्र प्रदेश	253	484	1461	860.00	118.74	432.40
अरुणाचल प्रदेश	0	738	1988	1000.00	490.98	775.52
असम	1522	131	2111	800.00	229.91	211.38
बिहार	0	749	665	1040.00	386.88	1288.01
छत्तीसगढ	2880	1812	4869	1520.00	557.23	357.12
गोवा	0	0	63	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0	36	26	100.00	126.82	281.14
हरियाणा	0	2	2	5.00	0.05	4.23
हिमाचल प्रदेश	1538	1265	3032	1100.00	936.32	1356.64
जम्मू और कश्मीर	1781	326	2298	998.00	261.87	420.50
झारखंड	1079	340	2369	950.00	150.54	631.64
कर्नाटक	0	42	98	75.00	36.13	48.94
केरलम	0	360	427	300.00	130.35	271.42
लद्दाख	0	236	219	80.00	76.25	107.15
मध्य प्रदेश	0	865	1428	720.00	460.88	763.23

महाराष्ट्र	0	1053	1118	1360.00	529.73	1402.23
मणिपुर	35	19	1552	20.00	49.24	40.99
मेघालय	0	295	699	600.00	351.04	388.09
मिजोरम	0	153	273	300.00	86.12	121.00
नागालैंड	0	32	573	400.00	78.84	121.43
ओडिशा	0	640	401	660.00	285.61	447.72
पुदुचेरी	0	8	102	2.00	0.98	6.56
पंजाब	0	510	671	346.77	137.07	369.79
राजस्थान	3219	102	3272	830.00	221.46	314.94
सिक्किम	384	161	609	175.00	115.14	175.99
तमिलनाडु	11	1926	152	1000.00	508.74	1465.19
तेलंगाना	0	305	1194	575.00	209.80	527.56
त्रिपुरा	65	98	978	360.00	142.40	186.73
उत्तर प्रदेश	0	580	514	1010.00	138.93	648.75
उत्तराखंड	1228	820	1691	700.00	446.16	595.17
पश्चिम बंगाल	0	1543	1835	1000.00	534.31	1140.56
कुल	**13997**	**15648**	**36910**	**18906.77**	**7798.51**	**14914.16**

नोट: सड़क की शेष लंबाई में विगत वर्षों के लंबित कार्य शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2026-27 (16.07.2026 तक) के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत, पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण तथा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत सड़क की लंबाई (किमी में)	पूर्ण की गई सड़क की लंबाई (किमी में)	शेष सड़क की लंबाई (किमी में)	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	जारी केंद्रीय हिस्सा (करोड़ रुपये में)	व्यय (राज्य अंश सहित) (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार	0	2	220	30.00	7.33	3.44

आंध्र प्रदेश	347	141	1664	480.00	46.87	78.12
अरुणाचल प्रदेश	0	176	1804	1150.00	39.63	44.03
असम	0	60	2042	1050.00	66.15	73.50
बिहार	0	104	555	760.00	101.20	168.67
छतीसगढ	0	151	4694	1870.00	135.14	225.23
गोवा	0	0	63	50.00	0.00	0.00
गुजरात	202	9	219	303.00	17.45	29.09
हरियाणा	0	0	2	38.55	0.04	0.06
हिमाचल प्रदेश	0	356	2643	900.00	210.81	234.23
जम्मू और कश्मीर	1600	24	3874	980.00	167.85	186.50
झारखंड	0	150	2219	820.00	33.50	55.83
कर्नाटक	0	9	89	50.00	1.87	3.11
केरलम	0	38	388	300.00	30.87	51.46
लद्दाख	0	13	195	70.00	17.11	20.56
मध्य प्रदेश	2502	226	3689	830.00	84.63	141.05
महाराष्ट्र	96	247	959	690.00	73.34	122.24
मणिपुर	0	0	1552	1240.00	3.23	3.59
मेघालय	0	101	595	780.00	99.26	110.29
मिजोरम	0	0	273	450.00	87.78	97.53
नागालैंड	538	7	1104	500.00	0.00	0.00
ओडिशा	1702	22	2077	156.93	33.40	55.66
पुदुचेरी	0	17	86	20.00	8.29	13.81
पंजाब	0	11	660	180.00	0.00	0.00
राजस्थान	0	317	2955	735.00	14.09	23.49
सिक्किम	0	5	603	230.00	14.12	15.69
तमिलनाडु	0	39	112	105.00	31.02	51.70
तेलंगाना	0	40	1154	675.00	19.78	32.97
त्रिपुरा	164	18	1124	382.00	21.93	24.37

उत्तर प्रदेश	0	72	437	615.00	16.42	27.37
उत्तराखंड	0	30	1651	420.00	18.28	20.31
पश्चिम बंगाल	777	462	2145	1150.00	93.24	155.40
कुल	**7928**	**2847**	**41848**	**18010.48**	**1494.62**	**2069.29**

नोट: सड़क की शेष लंबाई में विगत वर्षों के लंबित कार्य शामिल हैं।

अनुबंध- III

दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (16.07.2026 तक) के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत, पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का विवरण तथा उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार विवरण

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत सड़क की लंबाई	पूर्ण की गई सड़क की लंबाई	शेष सड़क की लंबाई	व्यय (करोड़ रुपये)
2023-24	11	168	346	139
2024-25	0	115	230	149
2025-26	102	42	289	74
2026-27	0	9	280	13
कुल	113	334	-	375

नोट: सड़क की शेष लंबाई में विगत वर्षों के लंबित कार्य शामिल हैं।

अनुबंध- IV

दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (ग) व (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार भौतिक लक्ष्य का विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	सड़क की लंबाई (किमी में)
1	अंडमान और निकोबार	96
2	आंध्र प्रदेश	976
3	अरुणाचल प्रदेश	1966
4	असम	1008
5	बिहार	647
6	छत्तीसगढ	3786
7	गोवा	62
8	गुजरात	126
9	हरियाणा	0
10	हिमाचल प्रदेश	859
11	जम्मू और कश्मीर	1084
12	झारखंड	1438
13	कर्नाटक	97
14	केरलम	434
15	लद्दाख	209
16	मध्य प्रदेश	1533
17	महाराष्ट्र	951
18	मणिपुर	1238
19	मेघालय	709
20	मिजोरम	476
21	नागालैंड	545
22	ओडिशा	226
23	पुदुचेरी	0
24	पंजाब	280
25	राजस्थान	2630

26	सिक्किम	218
27	तमिलनाडु	151
28	तेलंगाना	1193
29	त्रिपुरा	643
30	उत्तर प्रदेश	482
31	उत्तराखंड	566
32	पश्चिम बंगाल	1845
कुल		**26474**